...रिक रूप देने के लिए इन्हें ...संहिताओं में समेटने जा रही है।

इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मातृत्व लाभ, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक तथा कर्मचारी क्षतिपूर्ति जैसे कानूनों को सामाजिक सुरक्षा संहिता में समाहित किया जा रहा है। इससे सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी ... भुगतान कानून तथा समान परिलब्धियां जैसे कानूनों का विलय होगा। जबकि चौथी संहिता में औद्योगिक विवाद कानून, ट्रेड यूनियन कानून, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) जैसे कई वर्तमान कानूनों का समावेश होगा और इन अलग-अलग अधिनियमों के प्रावधानों को एक सारगर्भित कानून में समेट दिया जाएगा।

...फैसद करने का प्रस्ताव किया गया है।

बजट के इस प्रस्ताव के साथ ही कुछ अन्य प्रस्तावों को भी शेयरधारकों ने पसंद नहीं किया, जिसके कारण शुक्रवार को बीएसई के सेंसेक्स में करीब 395 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। गर्ग ने एक साक्षात्कार में कहा कि बाजार में दर्ज की गई गिरावट एक हलका झटका है। किसी ने संभवतः यह मान लिया कि मंत्री ने फैसला ले लिया है। इस चरण में यह फैसला नहीं है। (आइएएनएस)

पिछले सप्ताह आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अति-संपन्न व्यक्तिगत करदाताओं पर टैक्स की दरों में इजाफा कर दिया था। इसके तहत उन्होंने दो से पांच करोड़ रुपये तक कर-योग्य आय पर सरचार्ज मौजूदा 15 फीसद से बढ़ाकर 25 फीसद, जबकि पांच करोड़ रुपये से ज्यादा के कर-योग्य आय पर सरचार्ज 37 फीसद कर दिया था। इस बढ़ोतरी के बाद दो से पांच करोड़ रुपये तक कर-योग्य व्यक्तिगत आय ...

आय ... गया। कमज... टैक्स ... आम... या ऐ... में देग... किए... ग... से पह...

### ...ड़े परीक्षणों के साथ आयुर्वेदिक दवाएं विकसित करने पर जोर

# ...ा पर धाक जमाएगा भारत

... के इलाज में प्रमुख दवाओं के ब्रांड का हिस्सा बन गया। इसी तरह डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने सफेद दाग के इलाज के लिए ल्यूकोस्किन नाम की आयुर्वेदिक दवा विकसित की है। सबसे बड़ी बात यह है कि अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में विकसित ये दवाएं ऐलोपैथी दवाओं को कड़ी टक्कर दे रही है।

आयुष मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में विकसित की गईं और सफल हो चुकीं आयुर्वेदिक दवाओं को बड़े पैमाने पर विदेशी बाजार में उतारने की तैयारी है। अभी तक पुराने तरीके से तैयार आयुर्वेदिक दवाओं को अमेरिका जैसे विकसित देश दवा के रूप में मान्यता नहीं देते थे। इस कारण उन्हें खाद्य पदार्थों की श्रेणी में बेचने की अनुमति दी जाती थी। यही नहीं, परंपरागत आयुर्वेदिक दवाओं में सीसे व अन्य रसायनों की अधिक मात्रा भी विदेशी बाजार में रुकावट का बड़ा कारण बनी हुई थी। लेकिन अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरने के बाद तैयार आयुर्वेदिक दवाओं के लिए यह समस्या नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ बढ़ते रूझान को देखते हुए विदेश में आयुर्वेद को भी योग की तरह बड़ी सफलता मिल सकती है। विश्व में बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध कराने में आयुष मंत्रालय की सबसे बड़ी चिंता देश के भीतर जड़ी-बूटियों की कमी की है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जड़ी-बूटियों की कमी को दूर करने के लिए किसानों को इन्हें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है। इसके लिए अलग-अलग जड़ी-बूटियों के लिए अनुकूल क्षेत्रों की पहचान की जा रही है और किसानों को सामान्य फसलों के अलावा इन्हें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जड़ी-बूटियों की खेती किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का बेहतर विकल्प साबित हो सकता है।

# वीडियोकॉन की कंपनि... सप्ताह में फैसला ले एन...

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) को आदेश दिया कि वह वीडियोकॉन समूह की 15 कंपनियों के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी याचिका पर अगले तीन सप्ताह के भीतर आदेश दे। एनक्लैट ने कहा कि मामले की प्रकृति को देखते हुए बैंकों द्वारा दाखिल इन्सॉल्वेंसी याचिका पर एनसीएलटी को तीन सप्ताह में फैसला कर लेना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की अगुआई वाले बैंकों के समूह और कंपनियों के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) द्वारा दाखिल याचिका पर एनक्लैट ने यह निर्देश दिया। बैंकों ने एनक्लैट से कहा था कि 25 जनवरी 2019 में ही सुनवाई पूरी हो चुकी थी1 उसके बाद एनसीए... सुरक्षित रख... तक उसने ... नहीं दिया है।


...य, कार्यक्रम निदेशक
...ना प्रबन्धन ग्रुप नमामि गंगे
...दून, उत्तराखण्ड

...tivity दिनांक 06.07.2019

गंगा की पवित्रता हम सबका उत्तरदायित्व
गंगा संरक्षण-जल संरक्षण-जीवन संरक्षण

...चना

... द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि गंगा ... जल प्रवाहित न किया जाय। नमामि ..., ऋषिकेश, मुनि की रेती, देवप्रयाग, ..., रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नन्दप्रयाग, ...नगरों में सार्वजनिक नालों को टैप कर ... जाने की परियोजनाएं पूर्ण हो गई है ... में सम्मिलित नालों के अतिरिक्त यदि .../औद्योगिक प्रतिष्ठानो आदि स्थलो से ...हो रहा है या किसी प्रकार से प्रदूषण हो ...परियोजना प्रबन्धन ग्रुप, नमामि गंगे ...v.spmguttarakhand.uk.gov.in ...।

कार्यक्रम निदेशक


**मुख्यालय "गौरा देवी पर्यावरण भवन"**
**उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**
46बी, आई०टी० पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून Web : www.ueppcb.uk.gov.in

पत्रांक – यूईपीपीसीबी/एचओ/Noc-7193/19/432 दिनांक 03.07.2019

## पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

**M/s Balraj Associates** द्वारा **ग्राम–किरोली, तहसील एवं जिला–बागेश्वर के 7.784 है0 क्षेत्र में 30,000 टन/वर्ष सोप स्टोन** माईनिंग हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना आदि तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है :–

1. जिलाधिकारी, जनपद, बागेश्वर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

परियोजना से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय–देहरादून मुख्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी; कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर; कार्यालय जिला पंचायत, बागेश्वर; जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर एवं कार्यालय नगर निगम, बागेश्वर में उपलब्ध है जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

M/s Balraj Associates द्वारा ग्राम–किरोली, तहसील–काण्डा, जिला–बागेश्वर के 7.784 है0 क्षेत्र में 30,000 टन/वर्ष सोप स्टोन माईनिंग हेतु प्रस्तावित लोक सुनवाई **दिनांक 21.08.2019 को प्रातः 11:00 बजे से निकट–सैम–जू मन्दिर, ग्राम–किरोली, जिला–बागेश्वर** में निर्धारित की गयी है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अपने–अपने क्षेत्र से सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, यू.ई.पी.पी.सी.बी., हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव
**उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।**

दैनिक जागरण (7193)